सं. 10/2/2013- समन्वय Vol. III
No. 10/2/2013-Coord.
भारत सरकार
Government of India
जल संसाधन मंत्रालय
Ministry of Water Resources

....

नई दिल्ली, दिनांक: 24 MAR 2014
New Delhi, Dated:

विषय : केन्द्र सरकार के फरीदाबादए गाजियाबाद , गुडगॉव और नोएडा स्थित कार्यालयो में तैनात कर्मचारियों को परिवहन भत्ते का भुग्तान - एम0 एल0 रस्तगी बनाम भारत संध और अन्य के ओ0ए0 सं 2080/2012 तथा ओ ए (एक साथ मिलाकर) में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , प्रधान पीठ , नई दिल्ली के आदेश के संबध में ।

Subject:

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है :

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance:

संख्या एवं तारीख No. & date	किससे प्राप्त हुई From whom received
No.21/8/2010-ई. II (बी) Dated 7 मार्च 2014	वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

(अरूण कुमार)
(Arun Kumar)
अवर सचिव, भारत सरकार
Under Secretary to the Govt. of India
दूरभाष/ Tel. No: 3716894

To

1. Heads of all organizations under the Ministry.
2. US(E-I)US(E-II)/US(E-III)/US(E-IV)/ US(PSU)/DC(BM)/US(GWE)
3. Guard file.

सं. 21/8/2010-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

-94-

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 07 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा स्थित कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को परिवहन भत्ते का भुगतान – एम. एल. रस्तगी बनाम भारत संघ और अन्य के ओ. ए. सं. 2080/2012 तथा 22 ओ ए (एक साथ मिलाकर) में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के आदेश के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एम. एल. रस्तगी बनाम भारत संघ और अन्य के ओ. ए. सं. 2080/2012 तथा 22 सदृश ओ ए (एक साथ मिलाकर) में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 4 अक्तूबर, 2013 के आदेश का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने केन्द्र सरकार के फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा स्थित कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को परिवहन भत्ते के भुगतान के पूरे मामले की दिनांक 3.10.1997 के का. ज्ञा. सं. 21(1)/97-ई.II(बी) जारी किए जाने से लेकर इसके इतिहास, अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए विभिन्न निर्देशों, उप नगरों के लिए विशेष छूट प्रदान किए जाने के लिए आवेदकों द्वारा सभी ओ ए में पेश किए गए तर्कों पर समग्र रूप से विचार करते हुए पुन: जांच करने का निर्देश दिया है और यह भी निर्देश दिया है कि लिए गए निर्णय की सूचना एक तर्कसंगत आदेश के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों को दी जाए।

2. तदनुसार, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्देशानुसार, इस मंत्रालय में इस पूरे मामले की प्रारंभ से पुन: जांच की गई है। सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा स्थित कार्यालयों में तैनात कर्मचारी निम्नलिखित कारणों/आधार पर 'ए-1/ए' श्रेणी के शहरों की दरों पर परिवहन भत्ते के लिए पात्र न होकर वित्त मंत्रालय के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 21(2)/2008- ई.II(बी) में विनिर्दिष्ट 'अन्य स्थानों' के लिए लागू दरों पर परिवहन भत्ते के लिए पात्र हैं:-

(क) मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्रदान करने के मामले में 1974 से 1990 के दौरान अलग से आदेश जारी करके फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा सहित कुछ स्थानों को विशेष मामलों के रूप में 'विशेष छूट' दी गई थी। 'विशेष छूट' से फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा में स्थित कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को दिल्ली की दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्रदान किया गया था। यद्यपि यह 'विशेष छूट' न तो फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा के 'ए-1/ए' श्रेणी के शहरों के रूप में वर्गीकरण पर आधारित थी और न ही मकान किराए भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते के प्रयोजन से इनमें से किसी भी क्षेत्र को दिल्ली (यूए) में शामिल किए जाने पर आधारित थी।

(ख) 'ए-1/ए' श्रेणी के शहरों के लिए लागू दरों पर फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगांव और नोएडा सहित कुछ स्थानों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्रदान किए जाने के मामले में विशेष छूट, 1993 से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में स्पष्ट प्रावधान करते हुए मकान किराए भत्ते के संबंध में अब तक जारी रही है और नगर प्रतिकर भत्ते के संबंध में 31.08.2008 तक जारी थी।

(ग) आवास और कार्यालय के बीच आवागमन के लिए परिवहन लागत का भुगतान करने के लिए परिवहन भत्ते की अवधारणा की शुरूआत पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी। 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने 'ए-1/ए' श्रेणी के शहरों के लिए 800/- रुपए, 400/- रुपए और 100/- रुपए की दर से तथा 'अन्य स्थान' के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले शेष शहरों/कस्बों के लिए 400/- रुपए 200/- और 75/- रुपए की दर से परिवहन भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी। 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने परिवहन भत्ते के प्रयोजन के लिए 'ए-1/ए' श्रेणी के शहरों अथवा 'अन्य स्थानों' के रूप में वर्गीकरण का कोई आधार विनिर्दिष्ट/संस्तुत नहीं किया था। 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात्, परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के लिए आदेश वित्त मंत्रालय के दिनांक 03.10.1997 के का.ज्ञा. सं. 21(1)/97-ई-II(बी) के तहत जारी किया गया था। यद्यपि यह निर्णय लिया गया था कि परिवहन भत्ते के प्रयोजन के लिए 'ए-1' और 'ए' श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत शहर वही होंगे जो सीसीए के लिए हैं, किन्तु फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगांव और नोएडा सहित कतिपय स्थानों के संबंध में सीसीए के लिए प्रदत्त 'विशेष छूट' परिवहन भत्ते के लिए प्रदान करने का निर्णय नहीं लिया गया था।

(घ) इस संबंध में स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय के दिनांक 22.02.2002 के का.ज्ञा. सं. 21(1)/97-ई-II(बी) के बिंदु सं. 9 में जारी किया गया था कि कुछ शहरों के लिए 'विशेष छूट' केवल एचआरए/सीसीए के मामले में ही दी गई थी और कि यह परिवहन भत्ते के लिए लागू नहीं थी।

(ङ.) फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगांव और नोएडा स्थित कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को उच्चतर दरों पर परिवहन भत्ता दिए जाने का मुद्दा, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर विभिन्न ओए में उठाया गया था, विशेष रूप से ओए सं. 1270/2005 में जिसका निपटान दिनांक 18.11.2005 के आदेश द्वारा किया गया, ओए सं. 483/2005 एवं ओए सं. 1292/2005 का निपटान दिनांक 16.09.2005 के आदेश द्वारा किया गया तथा ओए सं. 2263/2005 का निपटान दिनांक 03.01.2006 के आदेश द्वारा किया गया था। ओए सं. 483/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 16.09.2005 के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और यह मामला ईएसआईसी एवं अन्य बनाम ज्वाइंट एक्शन काउंसिल स्पेशिएलिटी एवं डाक्टर्स की रिट याचिका(सी) सं. 2600/2006 के रूप में स्वीकार कर लिया गया जिसमें भारत संघ का प्रतिनिधित्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को इस मामले में अपना निर्णय अभी देना है। अतः फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगांव और नोएडा स्थित कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को 'ए-1/ए' श्रेणी के शहरों की दर से परिवहन भत्ता दिए जाने का केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश विचाराधीन है।

(ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने नगर प्रतिकर भत्ते को परिवहन भत्ते में शामिल करने की सिफारिश करते समय परिवहन भत्ता देने के मामले में किसी स्थान को कोई विशेष छूट दिए जाने की सिफारिश नहीं की थी। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबंधित आदेश वित्त मंत्रालय के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 21(2)/2008- ई.II(बी) (01.09.2008 से प्रभावी) के तहत जारी किए गए थे जिनमें 'ए-1/ए' श्रेणी के शहरों के लिए परिवहन भत्ते की उच्चतर दरें और अन्य स्थानों के लिए निम्नतर दरें प्रदान की गई थीं। उन 13 शहरों के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिनके लिए परिवहन भत्ते की उच्चतर दरें स्वीकार्य हैं और इनमें फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा शामिल नही हैं। उन 13 विनिर्दिष्ट शहरों से भिन्न अन्य सभी शहर/कस्बे/स्थान परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता के प्रयोजन के लिए 'अन्य स्थानों' के वर्गीकरण के तहत आते हैं। इसके अलावा सीसीए के प्रयोजन के लिए ए-1 के रूप में वर्गीकृत दिल्ली (यूए) में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा के क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

3. इसलिए फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा स्थित कार्यालयों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का परिवहन भत्ता, वित्त मंत्रालय के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 21(2)/2008- ई.II(बी) के अनुसार 'अन्य स्थानों' के लिए लागू दरों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

सु. चंद

(सुभाष चंद)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
   प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।
ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार।

अवर सचिव (समन्वय)/अवर सचिव (स्था. I)/ [illegible] कोप्रति दे दें।
अवर सचिव (मूल स्था.)